न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.
(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा)

Web Copy - Not Official

वाद संख्या :– 02 / 79 / 2017

<u>सुखबाई बनाम सिग्रो वगैरा</u>
प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 13.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.07.2017 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 23 / 615 / 0.14, 175 / 0.18, 176 / 0.20, 178 / 0.60, 179 / 0.07, 180 / 1.31, 204 / 0.46, 205 / 0.11, 210 / 0.09, 493 / 0.03, 203 / 0.01, 208 / 0.33, 253 / 0.45, 261 / 0.30, 377 / 0.43, 478 / 0.31, 494 / 0. 35 हे. वाके ग्राम कुण्डरोली तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई है तथा अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद सूचना तामील उपस्थित न्यायालय नहीं आये इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। आज पत्रालवी का वास्ते निर्णय अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 125 व 126 में अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है अप्रार्थीगण को सहखातेदारी की आराजी में उनका हिस्सा होने के कारण उन्हें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य नहीं है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 23 / 615 / 0.14, 175 / 0.18, 176 / 0.20, 178 / 0.60, 179 / 0.07, 180 / 1.31, 204 / 0.46, 205 / 0.11, 210 / 0.09, 493 / 0.03, 203 / 0.01, 208 / 0.33, 253 / 0.45, 261 / 0.30, 377 / 0.43, 478 / 0.31, 494 / 0. 35 हे. वाके ग्राम कुण्डरोली तहसील राजगढ अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)
(कैम्प कोर्ट श्रीचन्दपुरा)